न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 14 / 2024

राजस्थान सरकार जरिये नीरज कुमार जैन, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

मैसर्स गुड्डन का ढाबा

सूचना केन्द्र चौराहा, अजमेर

श्री नक्षत्र गुप्ता पुत्र श्री सुमित गुप्ता

रीजनल कॉलेज के सामने, पुष्कर रोड,कोटडा, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार
श्री नक्षत्र गुप्ता अप्रार्थी

<u>आदेश</u>

दिनांक 11.09.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 27.5.2024 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग / घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत जाच दल मैसर्स गुड्डन का ढाबा, सूचना केन्द्र चौराहा, अजमेर पर पहुँचे । दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर लगा कर प्रयोग किया जा रहा था । गैस सिलेण्डर के संदर्भमें कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए । उक्त स्थान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग कर दुरूपयोग करना पाया गया यह घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग की पुष्टि करता है। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1)(सी) की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों को राज्यहित में जब्त किया गया। मौके पर श्री अयूब खॉ पुत्र श्री कयूम खॉ कार्मिक चन्द्रायन गैस एजेन्सी, अजमेर को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर विवरण निम्नानुसार पाया गया ।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	253565	Indane	15.6	15.6	-
[illegible]	11014	Indane	16.6	30.8	14.2
3	319879	Indane	16.7	30.9	14.2

जिला कलक्टर
अजमेर

4	630778	Indane	16.0	30.2	14.2
5	456293	Indane	15.5	15.5	-
6	187034	Indane	16.3	23.0	6.7
कुल					49.3

सिलेण्डर को श्री अयूब खॉ पुत्र श्री कयूम खॉ, कार्मिक चन्द्रायन गेस एजेन्स, अजमेर को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुर्पुदगी में दिए गए । प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 27.05.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये छः घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार जो कार्यवाही मेरे ढाबे पर की गयी है उसके लिए बिना शर्त माफी मांगता हूँ । मेरी जानकारी में नही था कि इस प्रकार का सिलेण्डर का उपयोग व्यवसायिक रूप से नहीं किया जा सकता है।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया, साथ ही अप्रार्थी ने आरोप को स्वीकार किया गया है। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 27.05.2024 के अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये छः गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर